न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–137 / 2016–17 अन्तर्गत धारा–333 जं0वि0अधि0

श्री श्री 1008 नारायण स्वामी ट्रस्ट वर्तमान में नया नाम डा0 जगत नारायण सुभारती चैरिटेबल ट्रस्ट, देहरादून द्वारा प्रतिनिधि अविनाश कुमार श्रीवास्तव पुत्र एच0पी0 श्रीवास्तव निवासी–सुभारतीपुरम कोटड़ा सन्तौर, तहसील विकासनगर, परगना पछवादून, जिला देहरादून

बनाम

1– मनीष वर्मा पुत्र डा0 आर0के0 वर्मा, निवासी–10 गांधी रोड, देहरादून, 2. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री राजीव आचार्य।

अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण : श्री रविन्द्र सिंह।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त ने अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी शिविर देहरादून द्वारा निगरानी संख्या–04 / 2015–16 मनीष वर्मा बनाम श्री श्री 1008 नारायण स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 14–10–2016 के व्रिुद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

निगरानीकर्ता श्री श्री 1008 नारायण स्वामी ट्रस्ट वर्तमान नया नाम डा0 जगत नारायण सुभारती चैरिटेबल ट्रस्ट, देहरादून द्वारा प्रतिनिधि अविनाश कुमार श्रीवास्तव पुत्र एच0पी0 श्रीवास्तव निवासी–सुभारतीपुरम कोटड़ा सन्तौर तहसील विकासनगर, परगना पछवादून, जिला देहरादून ने उनके नाम विभिन्न खातों में दर्ज भूमि क्षेत्रफल 2.7513 हे0 एवं 2.6053 हे0 क्रमशः स्थित मौजा कौल्हूपानी एवं कोटड़ा सन्तौर, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून को अकृषक / आबादी घोषित किये जाने हेतु दो पृथक पृथक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–143 जं0वि0अधि0 दिनांक 09–04–2014 को सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर के समक्ष प्रस्तुत किये जिन्हें वाद संख्या–61 व 62 वर्ष 2013–14 दर्ज कर तहसीलदार, विकासनगर को जांचकर निर्धारित प्रारूप पर आख्या देने हेतु प्रेषित किया गया। तहसीलदार, विकासनगर से प्राप्त जांच आख्या दिनांक 12–04–2014 के आधार पर विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर ने अपने आदेश दिनांक 17–04–2014 से याचित भूमि को

अकृषक भूमि घोषित किया। आदेश दिनांक 17–04–2014 से क्षुब्ध होकर मनीष वर्मा पुत्र डा0 आर0के0 वर्मा निवासी गांधी रोड, देहरादून ने अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, कैम्प देहरादून के समक्ष निगरानी इस आधार पर प्रस्तुत की कि जिन विक्रय पत्रों के आधार पर निगरानीकर्ता/प्रार्थी ने स्वयं को भूमिधर बताते हुए धारा–143 की कार्यवाही की गई है वे सभी विक्रय पत्र सिविल जज (जू0डि0) विकासनगर द्वारा दिनांक 31–05–2012 को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित कर दिये गये है जिनकी अपील वर्तमान निगरानीकर्ता द्वारा जनपद न्यायाधीश में की गई है जो कि लम्बित है। विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ने यह कहते हुए कि विवादित खसरा नम्बरों के सम्बन्ध में निष्पादित विक्रय पत्रों के शून्य व निष्प्रभावी घोषित किये जाने सम्बन्धी आदेश के विरूद्ध वर्तमान में जिला जज, देहरादन के न्यायालय में अपील विचाराधीन है एवं जिला जज, देहरादून द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय पारित किये जाने तक उक्त भूमि को अकृषक घोषित किया जाना विधिसम्मत नही है। आक्षेपित निर्णयादेश दिनांक 14–10–2014 से विद्वान अपर आयुक्त ने वाद संख्या–61 व 62 वर्ष 2013–14 श्री श्री 1008 नारायण स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 17–04–2014 को निरस्त किया गया। इसी निर्णयादेश दिनांक 14–10–2014 के विरूद्ध वर्तमान निगरानी निदेशित है।

मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तरदाता संख्या–1 की बहस को सुना एवं उत्तरदाता संख्या–1 की लिखित बहस व अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का भली भांति अवलोकन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का सार यह है कि उत्तरदाता संख्या–1 परीक्षण न्यायालय में चली कार्यवाही में पक्षकार नही था क्योंकि वह पूर्व में न्यासी थी परन्तु उसके द्वारा दिनांक 23–11–2011 को त्यागपत्र दे दिया गया था तद्नुसार उसे कोई न्यायाधिकार (locus standi) नही है, कि दो आदेशों के विरूद्ध एक ही प्रथम निगरानी योजित की गयी, कि उत्तरदाता संख्या–1 को अवसर न मिलने के आाधार पर धारा–143 जं0वि0अधि0 की घोषणा अपास्त करना न्यायसंगत नही था क्योंकि अधिक से अधिक प्रकरण प्रति प्रेषित होता था, कि उक्त निगरानी न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण घोषणा अपास्त करना अविधिक था क्योंकि कुल भूमि में से मात्र 4 बीघा भूमि ही विवादित है एवं कि उत्तरदाता संख्या–1 द्वारा विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया गया है।

उत्तरदाता संख्या–1 का तर्क था कि वह अभी भी प्रश्नगत न्यास का न्यासी है, कि कथित अन्तरण अनुबंधाधीन था एवं अनुबंध असफल होने पर विक्रय भी शून्य हो गया क्योंकि प्रतिफल सम्बन्धी चैक बांऊस (bounce) हो गया एवं कि परीक्षण न्यायालय द्वारा उसे पक्षकार नही बनाया गया एवं इस प्रकार उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही प्रश्नगत घोषणा कर दी जिससे उत्तरदाता को अत्यंत क्षोभ है।

सर्वप्रथम उत्तरदाता संख्या–1 को न्यायाधिकार (locus standi) का बिन्दु देखा जाना आवश्यक है। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता स्वीकार करते हैं कि विवादित कुल भूमि में कुछ भूमि/4 बीघा भूमि सम्बन्धी विवाद वास्तव में विद्यमान है अतः विद्वान सहायक कलेक्टर द्वारा आलोच्य प्रकरण में अंतर्विष्ट कुल भूमि की घोषणा कर दिये जाने के दृष्टिगत उत्तरदाता संख्या–1 एक आवश्यक पक्षकार है अर्थात उसे न्यायाधिकार (locus standi) प्राप्त है।

विद्वान अपर आयुक्त के निर्णयादेश दिनांक 14–10–2016 का अंतिम प्रस्तर निम्नवत् हैः–

"पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित है कि वादग्रस्त भूमि को लेकर पक्षों के मध्य विवाद है। निगरानीकर्ता को अवर न्यायालय में योजित वाद में न तो पक्षकार बनाया गया है और ना ही उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है जबकि निगरानीकर्ता द्वारा योजित वाद पर ही मा0 सिविल न्यायालय (जू0डि0) विकासनगर द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में निष्पादित विक्रय पत्रों को शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया गया है। इस प्रकार निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित करना युक्तिसंगत नही है।"

उक्त से स्पष्ट है कि विद्वान अपर आयुक्त द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उत्तरदाता संख्या–1 को अवर न्यायालय में सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। इसके दृष्टिगत उन्हें चाहिए था कि प्रकरण परीक्षण न्यायालय को इस आशय से प्रति प्रेषित करते कि उत्तरदाता संख्या–1 को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान कर उसका विधिसम्मत निस्तारण करे। उनके द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण ही समाप्त कर दिया गया है जबकि किसी भी भूमिधर को उचित मामलों में धारा–143 जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत घोषणा प्राप्त करने का विधिक अधिकार है। वंचित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायसंगत है परन्तु प्रकरणों को समाप्त करना न्यायिक क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण है। तद्नुसार विद्वान अपर आयुक्त का निर्णयादेश दिनांक 14–10–2016 विधिक अनियमितता से ग्रसित हैं। फलस्वरूप प्रकरण सम्पूर्णता में निस्तारण हेतु मूल न्यायालय को प्रति प्रेषित किये जाने योग्य है। प्रकरण प्रति प्रेषण के दृष्टिगत पक्षकारों द्वारा की गई बहस अथवा प्रस्तुत लिखित बहस के आधार पर गुण दोष सम्बन्धी टिप्पणी करना उचित नही है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 14–10–2016 के आदेश सम्बन्धी प्रस्तर के चौथी पंक्ति जंहा पर यह लिखा गया है कि " आदेश दिनांक 07–04–2014 निरस्त किया जाता है" से आगे यह जोड़कर कि–पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरणों का गुण दोष के आधार पर विधिसम्मत निस्तारण किया जाए उसे संशोधित किया जाता है। पक्षकार दिनांक

20–04–2017 को सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर के न्यायालय में उपस्थित हो। उक्त तिथि तक पक्षकार वादग्रस्त भूमि के प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस एवं इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक **21–03–2017** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)